

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क्र० सं०	प्रा०पत्रसं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	1/24	2024/5	13.02.2024	सरकार बनाम रमेश गर्ग	26.02.2026	1 लगायत5

पीठासीन अधिकारी :- सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 01/2024 (2024/5)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
—आवेदक


बनाम

1. रमेश चन्द गर्ग पुत्र श्री कैलाश चन्द गर्ग (फर्म मालिक) मैसर्स गोपाल किराना स्टोर पुरानी अनाज मण्डी गंगापुरसिटी निवासी आदर्शनगर कालेज रोड, गंगापुरसिटी
2. विजय शंकर अगरवाल पुत्र प्रभू नारायण, मैसर्स श्री श्याम वेजीटेबल 113-ए, गोविन्द नगर ईस्ट अजमेर रोड जयपुर निवासी 259 ए. शिव नगर, जयसिंह पुरा खोरा त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (पप) / 51, 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 16.02.2023 को 2.00 पी.एम पर मैसर्स— गोपाल किराना स्टोर पुरानी अनाज मण्डी गंगापुरसिटी पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जिस पर उन्होंने खाद्य अनुज्ञापत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Desi Ghee (Dairy Milk) 500 एमएल. की पैकिट्स में रखे हुए थे। Desi Ghee (Dairy Milk) 500 एमएल.के पैकिट्स में मिलावट का अंदेशा होने पर Desi Ghee (Dairy Milk) 500 एमएल.के पैकिंग के 04 पैकिट्स को खरीदें उसकी कीमत 1120/- रुपये विक्रेता श्री रमेश चन्द गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान अशोक कुमार जैलिया एवं बाबूलाल तगाया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा फर्म मालिक से Desi Ghee (Dairy Milk) 500 एमएल. खरीद बिल की प्रति चाही गई जिस पर फर्म मालिक रमेश चन्द गर्ग द्वारा बिल की प्रति पेश की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रमेश चन्द गर्ग ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता रमेश चन्द गर्ग को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Desi Ghee (Dairy Milk) को मूल ही लेकर मेरे द्वारा 04 नमूना भाग तैयार कर तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच 2620 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच 2620 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जापें में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/670 दिनांक 26.04. 2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/363/एक्ट/2023/459 दिनांक 28.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं० 01/24 (2024/5) सरकार बनाम रमेश व अन्य

विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Desi Ghee (Dairy Milk) 500 मि०ली० Substandard as it is not derived exclusively form milk or products obtained 31 form milk as it contains foreign and hence is also Contravenes Regulation No- 2-3-7¼2½ of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of foreign fat. होना पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा ख्याद्य पदार्थ Desi Ghee (Dairy Milk) 500 मि०ली० Substandard as it is not derived exclusively form milk or products obtained 31 form milk as it contains foreign and hence is also Contravenes Regulation No- 2-3-7¼2½ of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of foreign fat. का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ Desi Ghee (Dairy Milk) 500 मि०ली० Substandard as it is not derived exclusively form milk or products obtained 31 form milk as it contains foreign and hence is also Contravenes Regulation No- 2-3-7¼2½ of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of foreign fat. प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
 मु.नं० 01/24 (2024/5) सरकार बनाम रमेश व अन्य
 निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए प्रकरण की
 कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य
 विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/363/एक्ट/2023/459 दिनांक 28.02.2023
 निम्नानुसार है:-

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
 JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sathi Colony, Jaipur-302004

FORM-11
Test Report of the Food Analyst
 [Refer Regulation (2) of 2.3.11]

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा) गंगापुर सिटी
 मु.नं० 01/24 (2024/5) सरकार बनाम रमेश व अन्य
 Date: 28-02-2023

Report No. L.S./363/Act/2023/459
 Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purvlyn, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Desi Ghee (Dairy Milk Brand)" Mudhopur area on 17-02-2023 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
 The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.
 I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 20-02-2023 to 28-02-2023 and the result of its analysis is given below.

(1) Sample description :- Sample is in a sealed and intact company packed hard paper box packing of 500ml.
 (2) Physical appearance :- Yellow coloured semi solid fat. On melting it becomes liquid.
 (3) Label :-

Brand name :- Rna Dairy Milk Agmark
 Batch No./Lot No./Molt No. :- J-1
 Date of Mfg./Pkg. :- 11 JAN 2023
 Expiry/Use by :- 08 OCT 2023
 Symbol for Veg./Non Veg. :- Green symbol given.
 Nutritional Information :- Given
 Ingredients :- Milk Fat
 Name & Address of Mfr./Pkr. :- Milk Food and Dairy Products Pvt. Ltd, Works : Gram Asrawal Bujurg 393/2/42, Nainwar Road, Indore-452016 (M.P), FSSAI License No.- 1141885000623

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3-2016	43.1	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5-2016	28.31	Minimum 24.0
3.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.6-2016	0.02%	Max. =0.5%
4.	Polenske value	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.2-2016	1.6	0.5-2.0
5.	Daudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.6-2016	Negative.	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.7-2016	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0-70162016	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.
Opinion- The sample of "Desi Ghee (Rna Dairy Milk Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-2620 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 28th day of February 2023

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
 Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.
 Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
 Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
 A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

शुचिता अग्रवाल
 Food Analyst
 (Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
 FOOD ANALYST, RAJASTHAN
 STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
 JAIPUR, RAJASTHAN

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Desi Ghee (Dairy Milk) 500 मि.ली. Substandard as it is not derived exclusively form milk or


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 01/24 (2024/5) सरकार बनाम रमेश व अन्य

products obtained form milk as it contains foreign and hence is also Contravenes Regulation No- 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of foreign fat. प्रकृति का का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ Desi Ghee (Dairy Milk) 500 मि०ली० Substandard as it is not derived exclusively form milk or products obtained form milk as it contains foreign and hence is also Contravenes Regulation No- 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of foreign fat. प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना राशि 50,000 रुपये (अक्षरे-पचास हजार रुपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210-04-800-03-00-25% STATE SHARE WHICH RECEIVED AGAINST LICENCE FEE में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी